

तत्काल  
तिथिबद्ध

विषय- प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली में प्रोटोकॉल कार्य हेतु एक सहायक नियुक्त करने हेतु।

क्या हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/उप-अधीक्षक एवं शाखा अधिकारी कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे?

2. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में पोस्टिंग आधार पर एक प्रोटोकॉल अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। जो कि केवल हरियाणा सिविल सचिवालय के अधीन कार्यरत सहायकों में से की जानी है। अतः वह सहायक जो प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में पोस्टिंग आधार पर नियुक्ति के इच्छुक हों अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से दिनांक 23.08.2019 तक हरियाणा सिविल सचिवालय, स्थापना-1 शाखा में भिजवाने का कष्ट करें।

चयनित सहायक को उसके देय वेतन के अतिरिक्त 6000/-रुपए तक के मोबाईल फोन तथा उसके प्रयोग पर 750/-रुपए तक की काल के बिल का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल से सम्बंधित कार्यों हेतु सरकारी वाहन की सुविधा दी जाएगी।

3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

*Rameth Kumar*  
अधीक्षक स्थापना-1

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

21/8/19

सेवा में

हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/उप-अधीक्षक एवं शाखा अधिकारी।  
(कृपया उक्त परिपत्र बारे अपने अधीन कार्यरत सभी सहायकों के ध्यान में ला दें)

अशा: क्रमांक: 3/7/92-1स्था-1

दिनांक 09.08.2019

पू0 क्रमांक 3/7/92-1स्था-1

दिनांक 09.08.2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. प्रधान स्थानीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, राज्यपाल हरियाणा।
3. जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा।
3. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा।
4. आयुक्त, हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग।
5. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सेक्टर 2, पंचकूला।
6. सचिव, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा, सेक्टर 12, पंचकूला।

(उपरोक्त सभी से अनुरोध है कि उक्त आदेशों/परिपत्र को हरियाणा सिविल सचिवालय, सचिवालय स्थापना संगठन के अधीन, आपके कार्यालय में नियुक्त सहायकों के ध्यान में ला दें)।

*Rameth Kumar*  
अधीक्षक स्थापना-1,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

21/8/19

आन्तरिक वितरण :-

1. मुख्य मन्त्री, हरियाणा तथा अन्य मंत्रियों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सभी ओओएसडी व अन्य अधिकारियों के सचिव/निजी सचिव।
3. निजी सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
4. डी.ए./मुख्य सचिव।
5. प्रशासकीय अधिकारी, हरियाणा सिविल सचिवालय।

*Rameth Kumar*  
अधीक्षक स्थापना-1

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

21/8/19